



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :- बु0वि0/सम्ब0/2014/97-48

दिनांक :- 29/03/2014

सेवा में,

प्रबंधक,

भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन
ललितपुर।

विषय :- प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 12.03.2014 के सन्दर्भ में सूचित करना है कि शासनादेश संख्या- 2443/सत्तर-2-2000-2(89)/97 दिनांक 05 मई 2000 एवं शासनादेश सं0 174/सत्तर-2-2014-285/07 टी0सी0-1 दिनांक 12.03.2014 तथा चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कुलपति जी ने निम्नलिखित विवरणानुसार प्रवक्ताओं को इस प्रतिबंध के साथ अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है कि अनुमोदित प्रवक्ताओं को एकाउन्टपेयी बैंक द्वारा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा।

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पद	जन्मतिथि	शैक्षिक विवरण	वर्ग
1	सुनील कुमार जैन पुत्र श्री सुरेशचन्द्र जैन	विभागाध्यक्ष	16/08/1968	Ph.D	अनारक्षित
2	राकेश कुमार पुत्र श्री प्रेमनारायण	प्रवक्ता बी0एड0	30/06/1980	NET	अनारक्षित
3	दिनेशचन्द्र पुत्र श्री सीताराम सोनी	प्रवक्ता बी0एड0	29/11/1977	NET	अनारक्षित
4	दिनेश प्रताप सिंह परिहार पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह परिहार	प्रवक्ता बी0एड0	01/02/1984	NET	अनारक्षित
5	सौरभ राय पुत्र श्री दिनेश्वर राय	प्रवक्ता बी0एड0	08/09/1987	NET	अनारक्षित
6	राजविन्दर सिंह पुत्र श्री करन सिंह	प्रवक्ता बी0एड0	19/05/1973	NET	अनारक्षित
7	रविन्दर कुमार पुत्र श्री रतीराम	प्रवक्ता बी0एड0	04/06/1975	NET	अनारक्षित
8	इन्दुबाला पुत्री दिवान सिंह	प्रवक्ता बी0एड0	29/04/1980	NET	अनारक्षित

उक्त के अतिरिक्त यह भी सूच्य है यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी के अभिलेखों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पायी गयी तो इसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबंध समिति का होगा।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि अनुमोदित प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रति, अनुबंध पत्र की प्रति एवं कार्यभार ग्रहण आख्या यथशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(पारस नाथ प्रसाद)
उपकुलसचिव

प्रतिलिपि :- श्री विवेक कुमार पाटकर, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त डाटा कम्प्यूटर में फीड करें।

उपकुलसचिव



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

क्रमांक :- बु0वि0/सम्ब0/2015/1166

दिनांक 26/10/2015

सेवा में,
प्रबंधक,
भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन,
महर्षा, ललितपुर

विषय :- प्रवक्ता अनुमोदन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 16/10/2015 के सन्दर्भ में सूचित करना है कि शासनादेश संख्या:- 2443/सत्तर-2-2000-2(89)/97 दिनांक 9 मई 2000 एवं शासनादेश सं0 174/सत्तर-2-2014-285/97 टी0सी0-1 दिनांक 12.03.2014 तथा चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कुलपति जी ने निम्नलिखित विवरणानुसार प्रवक्ता को इस प्रतिबंध के साथ अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है कि अनुमोदित प्रवक्ता को एकाउन्टेपेयी बैंक द्वारा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा।

अभ्यर्थी का नाम	पद	जन्मतिथि	चयन समिति तिथि	शैक्षिक विवरण
श्री प्रकाश पुत्र श्री राम लखन	प्रवक्ता बी0एड0	15.05.1986	14/10/2015	Net- DEC, 2013
उदय चन्द चौहान पुत्र श्री लक्ष्मण चौहान	प्रवक्ता बी0एड0	10.08.1988	14/10/2015	Net- JUNE, 2013
रुद्र प्रताप पुत्र शिव चन्द्रराम	प्रवक्ता बी0एड0	30.07.1978	14/10/2015	Net- DEC, 2014
नितिन कुमार सतभइया पुत्र श्री रामदास	प्रवक्ता बी0एड0	24.11.1987	14/10/2015	Net- JUNE, 2014
श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह	प्रवक्ता बी0एड0	20.07.1983	14/10/2015	Net- JUNE, 2012
अशोक कुमार मिश्रा पुत्र श्री उमेश कुमार मिश्रा	प्रवक्ता बी0एड0 (संगीत)	31.01.1990	14/10/2015	NET DEC, 2014
श्री प्रदीप कुमार यादव पुत्र श्री राजमणि यादव	प्रवक्ता बी0एड0 (शारीर शिक्षा)	15.12.1982	14/10/2015	NET June, 2012
सुन्दर वर्मा पुत्र श्री भारत प्रसाद	प्रवक्ता बी0एड0 (ललित कला)	05.07.1989	14/10/2015	NET- June, 2013

उक्त के अतिरिक्त यह भी सूच्य है कि यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी के अभिलेखों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पायी तो इसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबंध समिति का होगा।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि अनुमोदित प्रवक्ता के नियुक्ति पत्र की प्रति, अनुबंध पत्र की एक कार्यभार ग्रहण आख्या यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(पारस नाथ प्रसाद)
कुलसचिव

कुलसचिव

दि - डॉ0 विनय नरूला को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त डाटा कम्प्यूटर में फीड करें।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :- बु०वि०/सम्ब०/2018/262

दिनांक :- 28/04/2018

सेवा में,

प्रबंधक,

भगवान आदिनाथ कालेज ऑफ एजुकेशन,
महर्षि, ललितपुर।

विषय :- प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 05/03/2018 के सन्दर्भ में सूचित करना है कि शासनादेश संख्या :- 2443/सत्तर-2-2000-2(89)/97 दिनांक 9 मई 2000 एवं शासनादेश संख्या 174/सत्तर-2-2014-285/97टी0सी0-1 दिनांक 12/03/2014 विहित प्रावधानों तथा चयन समिति की संस्तुतियों एवं प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लिखित कथन के आधार पर मा० कुलपति जी ने निम्नलिखित विवरणानुसार प्रवक्ता को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर निम्न शर्तों के अधीन अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है। इसके अतिरिक्त प्रबंधक, सूरजज्ञान महाविद्यालय, कोच, जालौन द्वारा प्रदान की गयी अनापत्ति के आधार पर श्री श्री वृजेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री रामइकबाल यादव को सूरजज्ञान महाविद्यालय, कोच, जालौन में प्रदान किया गया अनुमोदन निरस्त किया जाता है :-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पद	जन्मतिथि	शैक्षिक विवरण
1	श्री अमरेंद्र कुमार लाल पुत्र स्व० श्री जवाहर लाल	प्रवक्ता बी०एड०	01/09/1984	NET-2017
2	श्री वृजेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री राम इकबाल यादव	प्रवक्ता बी०एड०	02/07/1983	NET-2015
3	श्री शशांक कुमार पाण्डेय पुत्र श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	प्रवक्ता बी०एड०	05/10/1984	NET-2017
4	श्री जय प्रकाश सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद	प्रवक्ता बी०एड०	20/07/1988	NET-2016
5	श्री चन्दन कुमार सिंह पुत्र यशवन्द सिंह	प्रवक्ता बी०एड०	19/7/1988	NET-2015
6	रेनू देवी पुत्री श्री श्रीकान्त पाण्डेय	प्रवक्ता बी०एड०	01/07/1988	NET-2015
7	श्री प्रवेश कुमार जायसवाल पुत्र श्री रमेश चन्द्र जायसवाल	प्रवक्ता बी०एड०	15/5/1984	NET-2015
8	श्री आशुतोष कुमार अग्निहोत्री पुत्र श्री कौशल किशोर अग्निहोत्री	प्रवक्ता बी०एड०	09/7/1971	NET-2017
9	दीक्षा सराफ पुत्री श्री अनिल कुमार सराफ	प्रवक्ता बी०एड० (ललित कला)	02/07/1992	M.F.A
10	श्री अतुल कुमार तिचारी पुत्र श्री सतेन्द्र तिचारी	प्रवक्ता बी०एड० (शारीरिक शिक्षा)	25/05/1981	M.P.Ed
11	श्री विनोद कुमार बौद्ध पुत्र स्व० श्री तुलसीराम बौद्ध	प्रवक्ता बी०पी०एड०	21/03/1977	NET-2017
12	श्री गौरंग हरि सिंह पुत्र श्री कपूर सिंह	प्रवक्ता बी०पी०एड०	28/12/1967	NET-2013

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रवक्ताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित कारण से अनुमोदन प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है

क्र०सं०	नाम	अनुमोदन प्रदान न किये जाने का कारण
1	श्री संजय किशोर शर्मा	रनातक स्तर पर द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण नहीं है
2	श्री मूलचन्द्र पुत्र श्री सुखनन्दन	पूर्व से श्री रावतपुरा सरकार कालेज, आरा, झाँसी में अनुमोदित

MF


क्र०स०	नाम	अनुमोदन प्रदान न किये जाने का कारण
3	श्री अमरजीत पुत्र श्री रामविशाल	पूर्व से के० सी०एन०आई०टी० इन्सटीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यादा में अनुमोदित
4	श्री रवीन्द्र प्रताप पुत्र श्री तपेश्वर	पूर्व से पं सरदार बल्लम भाई पटेल महाविद्यालय सपहा, बांदा में अनुमोदित
5	श्री मित्र पटेल	पूर्व से स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय, गुरेह, बांदा में अनुमोदित

उपर्युक्त शिक्षकों के अनुमोदन की शर्तें निम्नवत् हैं :-

1. अनुमोदित शिक्षकों का अनुबंध, प्रबंध समिति के प्रबंधत तथा सम्बन्धित शिक्षकों के मध्यम रू० 50/- के स्टाम्प पेपर पर होगा। (जिसमें अनुमोदित शिक्षक एवं प्रबंधक की फोटो सत्यापित कर चरमा की जायेगी।) अनुबंध पत्र में शिक्षक की संविदा न्यूनतम तीन वर्ष अथवा पांच वर्ष तथा शिक्षक का देय वेतन वर्णित करना अनिवार्य होगा। अनुमोदन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को चयनित शिक्षक की कार्यभार ग्रहण आख्या, अनुबंध पत्र तथा बैंक खाते की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
2. अनुमोदित शिक्षकों का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा। अनुमोदित शिक्षकों का विवरण ऑन लाईन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित शिक्षक के सापक्ष सीट आवंटन नहीं किया जायेगा।
3. अनुमोदित शिक्षकों पर उ० प्र० तथा सम्बन्धित निकायों द्वारा समूह समय पर जारी दिशा निर्देश प्रभावी होंगे।

उक्त के अतिरिक्त यह भी सूच्य है चयनित अभ्यर्थियों का अनुमोदन उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ सलग अभिलेखों की छायाप्रतियों का अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों से प्रबंधक द्वारा सम्यक रूप से सत्यापन कर लिया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में शपथ पत्र प्राप्त कराया गया है। यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी के अभिलेखों में विसंगति अथवा त्रुटि पायी जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबंध समिति का होगा।

भवदीय



सहा०कुलसचिव(सम्ब०)

प्रतिलिपि :- श्री जितेन्द्र साहू, नैतिक लिपिक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त डाटा अपने कम्प्यूटर में फीड करें।


सहा०कुलसचिव(सम्ब०)

बृहत्तरावण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

दिनांक :- 20/05/17

संख्या :- 571

प्रबंधक
मयातान आदिनाथ कालेज ऑफ एजुकेशन,
महर्षि ललितापुर।

विषय - प्रवक्ता बी०एड० एवं बी०पी०एड० के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 01/05/2017 के सन्दर्भ में सूचित करना है कि शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(89)/97 दिनांक 9 मई 2000 एवं शासनादेश संख्या 174/सत्तर-2-2014-285/97टी०बी०-1 दिनांक 12/03/2014 विहित प्रावधानों तथा चयन समिति की संस्तुतियों एवं प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लिखित कथन के आधार पर मा० कुलपति जी ने निम्नलिखित विवरणानुसार प्रवक्ता बी०एड० एवं बी० पी० एड० को निम्न शर्तों के अधीन अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है :-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पद	जन्मतिथि	शैक्षिक विवरण
1	श्री भानु प्रताप पुत्र श्री कामता प्रसाद बाजपेई	प्रवक्ता बी०एड०	11/04/1973	NET-2014
2	श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार जैन	प्रवक्ता बी०एड०	21/04/1985	NET-2015
3	श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री चुन्नीलाल	प्रवक्ता बी०पी०एड०	13/05/1989	NET-2014


उपर्युक्त शिक्षकों के अनुमोदन की शर्तें निम्नवत् हैं :-

1. अनुमोदित प्राचार्य या अनुबंध प्रबंध समिति के प्रबंधक तथा सम्बन्धित प्राचार्य के मध्यम रू० 50/- के स्टाम्प पेपर पर होगा। जिसमें अनुमोदित शिक्षक/प्राचार्य एवं प्रबंधक की फोटो सत्यापित अनुबंध पत्र से शिक्षक की सविदा न्यूनतम तीन वर्ष अथवा पांच वर्ष तथा शिक्षक का देय वेतन वर्णित करना अनिवार्य होगा। अनुमोदन पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को चयनित शिक्षक की कार्यभार ग्रहण आख्या अनुबंध पत्र तथा बैंक खाते की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
2. अनुमोदित शिक्षकों का वेतन मुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा।
3. अनुमोदित शिक्षकों का विवरण ऑन लाईन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित शिक्षक के सापक्ष सीट आवंटन नहीं किया जायेगा।
4. अनुमोदित शिक्षकों पर उ० प्र० तथा सम्बन्धित निकायों द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश प्रभावी होंगे।


उक्त के अतिरिक्त यह भी सूच्य है चयनित अभ्यर्थियों का अनुमोदन उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ सतम अभिलेखों की छायाप्रतियों का अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों से प्रबंधक द्वारा सम्यक रूप से सत्यापन कर लिया गया है जिसके परिप्रेष्य में शपथ पत्र प्राप्त कराया गया है। यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी के अभिलेखों में विसंगति अथवा त्रुटि पायी जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबंध समिति का होगा।

नोट- चयनित प्रवक्ताओं का अनुमोदन इस निर्देश के साथ किया जा रहा है कि भविष्य में विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक चयन समितियों के सदस्यों तथा चयनित अभ्यर्थियों का सामने से खींचा गया सुस्पष्ट फोटोग्राफ अनुमोदन हेतु संलग्न करना सुनिश्चित करें। फोटोग्राफ सुस्पष्ट न होने की दशा में अनुमोदन नहीं किया जायेगा।

भवदीय


कार्यालय अधीक्षक(सम्ब०)

प्रतिलिपि :- श्री जितेन्द्र साहू, नैतिक लिपिक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र अपने कम्प्यूटर में फीड करें।


कार्यालय अधीक्षक(सम्ब०)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :- बु0वि0/सञ्च0/2015/1166

दिनांक 26/10/2015

सेवा में,

प्रबंधक,
भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन,
महर्षा, ललितपुर

विषय :- प्रवक्ता अनुमोदन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 16/10/2015 के सन्दर्भ में सूचित करना है कि शासनादेश संख्या:- 2443/सत्तर-2-2000-2(89)/97 दिनांक 9 मई 2000 एवं शासनादेश सं0 174/सत्तर-2-2014-285/97 टी0सी0-1 दिनांक 12.03.2014 तथा चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कुलपति जी ने निम्नलिखित विवरणानुसार प्रवक्ता को इस प्रतिबंध के साथ अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है कि अनुमोदित प्रवक्ता को एकाउन्टेपेयी बैंक द्वारा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा।

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पद	जन्मतिथि	चयन समिति तिथि	शैक्षिक विवरण
1	रवि प्रकाश पुत्र श्री राम लखन	प्रवक्ता वी0एड0	15.05.1988	14/10/2015	Net- DEC, 2013
2	उदय चन्द चौहान पुत्र श्री लक्ष्मण चौहान	प्रवक्ता वी0एड0	10.08.1988	14/10/2015	Net- JUNE, 2013
3	राज प्रताप पुत्र शिव चन्द्रराम	प्रवक्ता वी0एड0	30.07.1978	14/10/2015	Net- DEC, 2014
4	नितिन कुमार सतमड़िया पुत्र श्री रामदास	प्रवक्ता वी0एड0	24.11.1987	14/10/2015	Net- JUNE, 2014
5	श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह	प्रवक्ता वी0एड0	20.07.1983	14/10/2015	Net- JUNE, 2012
6	आशीष कुमार मिश्रा पुत्र श्री उमेश कुमार मिश्रा	प्रवक्ता वी0एड0 (संगीत)	31.01.1990	14/10/2015	NET DEC, 2014
7	श्री प्रदीप कुमार यादव पुत्र श्री राजमणि यादव	प्रवक्ता वी0एड0 (शारि शिक्षा)	15.12.1982	14/10/2015	NET June, 2012
8	महेन्द्र वर्मा पुत्र श्री भारत प्रसाद	प्रवक्ता वी0एड0 (ललित कला)	05.07.1989	14/10/2015	NET- June, 2013

उक्त के अतिरिक्त यह भी सूच्य है कि यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी के अभिलेखों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पायी गयी तो इसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबंध समिति का होगा।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि अनुमोदित प्रवक्ता के नियुक्ति पत्र की प्रति, अनुबंध पत्र की प्रति एवं कार्यभार ग्रहण आख्या यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(पारस नाथ प्रसाद)

कुलसचिव

प्रतिलिपि :- डॉ0 विनय नरुला को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त डाटा कम्प्यूटर में फीड करें।

कुलसचिव